

14303 - जिस व्यक्ति को सलसुल बौल (मूत्र असंयम) की शिकायत है उसके लिए दो नमाज़ों को एकत्र करने का हुक्म

प्रश्न

जिस व्यक्ति के शौचालय में जाने और इस्तिंजा करने के बाद पेशाब की बूँदें गिरती हैं, उसके बारे में शेख इब्ने उसैमीन का फत्वा यह है कि वह व्यक्ति इस्तिंजा करेगा, फिर जब नमाज़ का समय प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर वुजू करना अनिवार्य है।

मेरा प्रश्न यह है कि : यदि मुसलमान यात्रा के कारण अपनी नमाज़ को एकत्र करके पढ़ता हो और दो नमाज़ों के अंतराल के बीच उससे पेशाब की कुछ बूँदें निकलें, अर्थात् इसके बाद कि वह जुहर की नमाज़ पढ़ चुका हो, लेकिन अस्त्र की नमाज़ को क़ायम करने से फारिग होने से पहले, या जुहर की नमाज़ के दौरान किसी भी समय, यानी उस व्यक्ति के अस्त्र की नमाज़ को क़ायम करने से पूर्व, तो क्या उसके ऊपर अपने वुजू को दोहराना अनिवार्य है ताकि वह दूसरी अर्थात् इस उदाहरण में अस्त्र की नमाज़ पढ़ सके?

विस्तृत उत्तर

यदि उसे सलसुल बौल (मूत्र असंयम) की शिकायत निरंतर है, वह उसके नमाज़ पढ़ने की हालत में भी बंद नहीं होता है, तो वह उसी वुजू से अस्त्र की नमाज़ पढ़ेगा, और उसके ऊपर वुजू को लौटाना अनिवार्य नहीं है।

लेकिन यदि उसका सलसुल बौल बंद हो जाता है, फिर दोनों नमाज़ों के बीच के अंतराल में पेशाब की कुछ बूँदें निकलती हैं तो उसके ऊपर वुजू दोहराना अनिवार्य है। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।